

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं० – 15/औ०-11-01/2024...../स्वा० पटना, दिनांक – .....2026

विभागीय अधिसूचना सं०-612(15), दिनांक-12.08.2024 द्वारा नवनियुक्त 48 (अड़तालीस) औषधि निरीक्षकों के लिए बिपार्ड, गयाजी द्वारा दिनांक-25.02.2025 से 25.04.2025 (दो माह) तक संस्थागत/प्रवेशकालीन आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गयी थी।

2. बिपार्ड, गयाजी के पत्रांक-671, दिनांक-30.01.2026 द्वारा उक्त आयोजित प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न मदों/कोषों में प्रशिक्षण पर हुए वास्तविक व्यय की राशि रूपये 1,11,51,735/- (एक करोड़ ग्यारह लाख इकावन हजार सात सौ पैंतीस रूपये मात्र) से संबंधित विपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए उक्त राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।

3. बिपार्ड, गयाजी के पत्रांक-671, दिनांक-30.01.2026 के आलोक में सम्यक विचारोपरांत उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पर हुए वास्तविक व्यय की राशि 1,11,51,735/- (एक करोड़ ग्यारह लाख इकावन हजार सात सौ पैंतीस रूपये मात्र) के नियमानुसार भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-15/औ०-11-01/2024.....258(15A)/स्वा० पटना,दिनांक-.....08/04/..2026

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री प्रभु राम, भा०प्र०से० (से०नि०), संयुक्त निदेशक/संकाय प्रमुख-सह-सत्र समन्वयक बिपार्ड, गया को उनके पत्रांक-671, दिनांक-30.01.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-7A, 7B एवं 10 तथा प्रशाखा पदाधिकारी-7A, 7B एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री नवल किशोर, उच्च वर्गीय लिपिक-सह-प्रतिनियुक्त, लेखापाल, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा को बिपार्ड के पत्रांक-671, दिनांक-30.01.2026 की छायप्रति अनुलग्नकों सहित संलग्न करते हुए निदेशित है कि नियमानुकूल भुगतान की कार्रवाई की जाय।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।  
8/5